हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

सोमवार, 16 सितंबर 2019, लखनऊ, पांच प्रदेश, 21 संस्करण, नगर संस्करण

www.livehindustan.com

शांति की अपील

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर में शांति लाने और बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की अपील की है।

नए निर्देशों के मुताबिक अब उपभोक्ताओं को अधिक फायदा

सोलर सब्सिडी के लिए नई गाइडलाइन जारी

प्रक्रिया शुरू

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

केंद्र सरकार ने सोलर प्लांट लगाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें 50 रुपये प्रतिवाट या 50 हजार रुपये प्रतिकिलोवाट की दर से सब्सिडी की गणना होगी। तीन किलोवाट तक सब्सिडी की दरों में बदलाव के बाद भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। यूपी नेडा ने इस संबंध में केंद्र के नए निर्देशों के अनुसार सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 30 फीसदी की सब्सिडी मिलती थी। किसी भी भार श्रेणी के लिए सब्सिडी की दरें एक समान थीं। पिछले दिनों सरकार ने इसमें आंशिक बदलाव करते हुए तीन किलोवाट तक के प्लांट पर सब्सिडी 40 फीसदी कर दी और उससे अधिक 10 किलोवाट तक 20 फीसदी सब्सिडी के निर्देश दिए। यूपी नेडा की पंजीकृत फर्मों ने जब नए नियमों से प्लांट लगाए तो पांच किलोवाट पर 20 फीसदी ही सब्सिडी दी गई। नियमों में भ्रम की स्थिति बन गई। यूपी नेडा ने इस संबंध में केंद्र से स्थिति स्पष्ट करने की गुजारिश की। केंद्र के नए निर्देशों के अनुसार इसमें उपभोक्ताओं के लिए अधिक फायदा हो गया।

तीन किलोवाट प्लांट तक - 40 फीसदी सब्सिडी केंद्र की और 15000 रुपये प्रति किलोवाट (अधिकतम 30 हजार रुपये) राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी

दस किलोवाट प्लांट तक - पहले तीन किलोवाट तक 40 फीसदी, अगले सात किलोवाट के लिए 20 फीसदी और राज्य सरकार की अधिकतम 30 हजार रुपये की सब्सिडी जबकि 10 किलोवाट से अधिक के सोलर रूफटॉप प्लांट पर कोई सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया गया है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

1 किलोवाट
35 हजार रुपये कुल, केंद्र की 40 फीसदी की दर से 20,000 रुपये, राज्य की 15000 रुपये

2 किलोवाट
70 हजार रुपये, केंद्र की 40 फीसदी प्रति किलोवाट की दर से 40 हजार रुपये, राज्य की 30000 रुपये अधिकतम

3 किलोवाट
90000 रुपये, केंद्र की 60 हजार रुपये, राज्य की 30 हजार रुपये

4 किलोवाट
1 लाख रुपये, केंद्र की 70 हजार रुपये, पहले 3 किलोवाट के 40

फीसदी की दर से 60 हजार रुपये, अगले 1 किलोवाट के 20 फीसदी की दर से 10 हजार रुपये, राज्य की अधिकतम 30 हजार रुपये

5 किलोवाट
1.10 लाख रुपये
पहले 3 किलोवाट तक 60 हजार रुपये
अगले 2 किलोवाट के 20 हजार रुपये
राज्य की 30 हजार रुपये

सब्सिडी की दरें ऊर्जा मंत्रालय की ओर से तय की गई हैं। उसी के अनुसार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

अनिल कुमार, सचिव, यूपी नेडा